(१)

आदेश (1) पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 121)

आदेश पत्रक ता0...........................से..............................तक।

जिला–जामताड़ा, वाद संख्या–04सन 2023

केस का प्रकार–अतिक्रमण वाद अभिलेख के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
15.04.2023	यह अतिक्रमणवाद अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के पत्रांक –435/गो0,दिनांक–03.03.2023 के माध्यम से दिए गए निदेश के अनुपालन में राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं0–04/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक, करमाटाँड़ (विद्यासागर) के द्वारा स्थलीय जाँच के क्रम में दिए गए जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरंभ की गई है। राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं0–04, श्री अरूण कुमार दास एवं अंचल अमीन ने अंचल निरिक्षक, करमाटाँड़(विद्यासागर) के माध्यम से अतिक्रमण प्रतिवेदन दिया है कि स्थानीय जाँच एवं मापी के क्रम में पाया कि करमाटाँड़(विद्यासागर) अंचल अंतर्गत मौजा–बारादाहा, थाना सं0–43 अनाबादी खाता सं0–36 दाग सं0–291 भूमि किस्म–रास्ता कहकर गत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त दाग सं0–291 पर अबादत मियाँ पिता–स्व0 उस्मान मियाँ साकिन–बारादाहा के द्वारा 1.5 डी0 भूमि पर मकान सह आँगन बनाकर घेराबंदी कर अतिक्रमण किया गया है। अंचल अमीन ने मापी प्रतिवेदन तथा नक्शा समर्पित कर उक्त अतिक्रमण की पुष्टि की है। अतः बिहार (झारखंड) लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा–3 के तहत अतिक्रमणकारी अबादत मियाँ को विहित प्रपत्र मे नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने का निदेश दें। अभिलेख दिनांक–04.05.2023 को रखें। (हस्ताक्षर) 15.04.23 अंचलअधिकारी करमाटाँड़(विद्यासागर), जामताड़ा।	
04.05.2023	प्रशासनिक व्यस्तता के कारण वाद पर सुनवाई नहीं की जा सकी। अभिलेख दिनांक 19.05.2023 को रखें। (हस्ताक्षर) 04.05.23	

⑤

अभिलेख उपस्थापित।

वादी अबादत मियाँ का पुत्र कमरूद्दीन मियाँ ने उपस्थित दर्ज किया है। उनके द्वारा उपस्थित होकर मौखिक एवम् लिखित रूप से आवेदन पत्र समर्पित कर बताया है कि मेरे द्वारा अतिक्रमण किये गये भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है।

अतः अतिक्रमण वाद की अग्रेतर कार्रवाई को समाप्त किया जाता है।

03/06/25
अंचल अधिकारी
करमाटाँड़ (विद्या)

Digitally signed by CHONARAM HEMBROM
Date: 2025.06.03 17:19:11 +05:30
Location: 192.168.1.7